

नं. W-17/55/2022-एस पी एन-I

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
डाक विभाग

सूचना

दिनांक: 08 नवम्बर 2023

डाक सहायक, छँटाई सहायक, डाकिया, मेल गार्ड और मल्टी टास्किंग स्टाफ के संवर्गों में डाक विभाग में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथियां	
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि	10.11.2023
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	09.12.2023
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	09.12.2023
‘आवेदन पत्र सुधार हेतु विंडो’ की तिथियां	10.12.2023 - 14.12.2023

समूह ‘ग’ के निम्नलिखित पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए मेधावी खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो अन्य पात्रता शर्तों, जैसे आयु, शैक्षिक और अन्य योग्यताएं आदि को पूरा करते हैं: -

- (i) डाक सहायक
- (ii) छँटाई सहायक
- (iii) डाकिया
- (iv) मेल गार्ड
- (v) मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)

भर्ती प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा ओएम संख्या 14034/01/2013-स्था (डी) दिनांक 03.10.2013 और ओएम संख्या डीओपीटी 1668767575965 दिनांक 18.11.2022 के तहत जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होगी, जो समय-समय पर दिनांक 09.11.2023 तक संशोधित/प्रवर्धित किया गया है।

**2. वेतनमान**

क्र.सं.	पद का नाम	केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 की अनुसूची के भाग ए में निर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर, साथ ही स्वीकार्य भत्ते
(क)	डाक सहायक	लेवल 4 (रु. 25,500 - रु. 81,100)
(ख)	छँटाई सहायक	लेवल 4 (रु. 25,500 - रु. 81,100)
(ग)	डाकिया	लेवल 3 (रु. 21,700 - रु. 69,100)
(घ)	मेल गार्ड	लेवल 3 (रु. 21,700 - रु. 69,100)
(ङ)	मल्टी टास्किंग स्टाफ	लेवल 1 (रु. 18,000 - रु. 56,900)

**3. रिक्ति:** डाक सर्कल-वार और कैडर-वार रिक्ति अनुबंध-1 में दी गयी है।

#### 4. आयु:

(क) विभिन्न पदों के लिए आवेदकों की आयु सीमा नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी। आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

#### तालिका

क्र.सं.	पद	आयु सीमा
(क)	डाक सहायक	18-27 वर्ष के बीच
(ख)	छँटाई सहायक	18-27 वर्ष के बीच
(ग)	डाकिया	18-27 वर्ष के बीच
(घ)	मेल गार्ड	18-27 वर्ष के बीच
(ङ)	मल्टी टास्किंग स्टाफ	18-25 वर्ष के बीच

प्रत्येक मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच (5) वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक मामले में केवल अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच (5) वर्ष की छूट दी जाएगी। तदनुसार, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। यद्यपि ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त आयु छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी, लेकिन किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया जाएगा।

#### 5. अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता

##### (i) डाक सहायक / छँटाई सहायक के पदों के लिए: -

क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

ख) कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान।

##### (ii) डाकिया / मेल गार्ड के पदों के लिए: -

क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

ख) 10वीं कक्षा या उससे ऊपर में एक विषय के रूप में संबंधित पोस्टल सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा उत्तीर्ण होनी चाहिए।  
**पोस्टल सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा अनुबंध-2 के अनुसार होगी।**

ग) कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान।

घ) दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस (केवल डाकिया के पद के लिए)। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को लाइसेंस रखने से छूट दी गई है।

नोट 1.- संबंधित पोस्टल सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालांकि, नियुक्ति के बाद ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय किए गए तरीके से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और परिवीक्षा पूरी करने के लिए ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करना एक पूर्व शर्त होगी।

नोट 2.- जिस व्यक्ति के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है, वह भी पोस्टमैन के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालांकि, ऐसे व्यक्ति के पास नियुक्ति के समय दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है, ऐसे लाइसेंस के प्रस्तुत होने तक या नियुक्ति की तारीख से पांच साल की अवधि तक, जो भी पहले हो, वेतन में आवधिक वृद्धि अर्जित नहीं करेगा, और इस तरह के लाइसेंस के प्रस्तुत होने या ऐसी पांच साल की अवधि की समाप्ति के बाद, वेतन को संभावित रूप से उस स्तर पर बहाल किया जाएगा जो वेतन तक पहुंच गया होता यदि वेतन में आवधिक वृद्धि रोकी नहीं गई थी और बीच की अवधि के लिए वेतन का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए: -

क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण

6. मेधावी खिलाड़ी

इस अधिसूचना के तहत भर्ती के प्रयोजन के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में मेधावी खिलाड़ी माना जाएगा:

- क) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में उल्लिखित किसी भी खेल/कूद में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है।
- ख) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में उल्लिखित किसी भी खेल/कूद में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।
- ग) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में उल्लिखित किसी भी खेल/कूद में अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेल में राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है।
- घ) जिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

7. मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त खेलों की सूची

क्रमांक	खेल/कूद का नाम	क्रमांक	खेल/कूद का नाम
1	तीरंदाजी	2	व्यायाम
3	आत्या-पात्या	4	बैडमिंटन
5	बॉल-बैडमिंटन	6	बेस बॉल
7	बास्केटबाल	8	बिलियर्ड्स और स्नूकर
9	बॉडी बिल्डिंग	10	मुक्केबाजी
11	पुल	12	कैरम
13	शतरंज	14	क्रिकेट
15	साइकिल चलाना	16	साइकिल पोलो
17	बधिर खेल	18	घुड़सवारी खेल
19	बाइ लगाना	20	फुटबॉल
21	गोल्फ	22	कसरत
23	हेन्डबोल	24	हॉकी
25	आइस हॉकी	26	आइस स्केटिंग
27	बर्फ स्कीइंग	28	जूदो
29	कबड्डी	30	कराटे
31	क्याकिंग और कैनोइंग	32	खो-खो
33	कूडो	34	मलखंब
35	मोटर स्पोर्ट्स	36	नेट बॉल
37	पैरा स्पोर्ट्स (पैरा ओलंपिक और पैरा एशियाई खेलों में शामिल खेल अनुशासन के लिए)	38	पेनकेक सिलाट
39	पोलो	40	पावर लिफ्टिंग
41	शूटिंग	42	शूटिंग बॉल
43	रोल बॉल	44	रोलर स्केटिंग
45	रोइंग	46	रग्बी

क्रमांक	खेल/कूद का नाम	क्रमांक	खेल/कूद का नाम
47	लात टकराओ	48	नरम गेंद
49	सॉफ्ट टेनिस	50	स्क्वाश
51	तैरना	52	टेबल टेनिस
53	तायक्वोंडो	54	टेनी-कोइट
55	टेनिस	56	टेनिस बॉल क्रिकेट
57	दस पिन गेंदबाजी	58	ट्राइथलॉन
59	रस्साकशी	60	वॉली बॉल
61	भारोत्तोलन	62	वुशु
63	कुश्ती	64	नौकायन
65	योगासन		

**8. खिलाड़ियों की भर्ती के लिए पात्रता के आधार पर प्रमाणपत्र प्रदान करने में सक्षम प्राधिकारियों की सूची: -**

क्रमांक	प्रतियोगिता	प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है	प्रपत्र जिसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है
1	अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव	1
2	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	राष्ट्रीय महासंघ के सचिव या संबंधित खेल के राज्य संघ के सचिव	2
3	इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता	संबंधित विश्वविद्यालय के खेल के डीन या खेल के समग्र प्रभारी अन्य अधिकारी	3
4	स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेल/कूद	स्कूलों के लिए खेल/कूद के समग्र प्रभारी निदेशक या अतिरिक्त / संयुक्त या उप निदेशक राज्य के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय	4
5	शारीरिक दक्षता अभियान	भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में शारीरिक दक्षता के समग्र प्रभारी सचिव या अन्य अधिकारी	5

**टिप्पणी:** - ऊपर उल्लिखित फॉर्म - 1, 2, 3, 4 और 5 के नमूने अनुबंध 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 में दिए गए हैं।

**9. चयन की विधि-**

क. ऐसे उम्मीदवार जो पैरा 4, 5, 6 और 7 की शर्तों को पूरा करते हैं और पैरा 8 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र रखते हैं, वे कैडर/पोस्टल सर्कल के लिए उनकी प्राथमिकता के अनुसार एवं प्रत्येक कैडर (पद) के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या की सीमा के अनुसार अनंतिम योग्यता सूची में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

ख. एक उम्मीदवार को सभी चुने गए डाक सर्किलों के लिए पहले पसंदीदा कैडर के लिए विचार किया जाएगा, उसके बाद सभी चुने गए डाक सर्किलों के लिए दूसरे पसंदीदा कैडर के लिए विचार किया जाएगा। उसके द्वारा नहीं चुने गए कैडर/पोस्टल सर्कल के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. अनंतिम मेरिट सूची केवल ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार की जाएगी और अनंतिम मेरिट सूची तैयार करने से पहले ऑफलाइन मोड में कोई अतिरिक्त जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल खेलों में अपनी सर्वोच्च भागीदारी/उपलब्धि का विवरण दें। उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आयोजनों में भाग लिया है, तो उसे ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए उसके पास वैध फॉर्म-1 है, और अन्य सभी उपलब्धियों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

**10. अनंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए खेल उपलब्धि को प्राथमिकता देने का क्रम**

- (i) **पहली पसंद:** पहली प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने युवा मामले और खेल विभाग की मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है।
- (ii) **दूसरी प्राथमिकता:** अगली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने युवा मामले और खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और पदक या स्थान जीते हैं। तीसरे स्थान तक सीनियर और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप/ खेल में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (iii) **तीसरी प्राथमिकता:** अगली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज / इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर-यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और फाइनल में तीसरे स्थान तक पदक या स्थान जीते हैं।
- (iv) **चौथी प्राथमिकता:** अगली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ऑल-इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल/स्कूलों के लिए खेलों में, राज्य के स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया है और पदक जीते हैं या तीसरे स्थान तक स्थान प्राप्त किया है।
- (v) **पांचवी प्राथमिकता:** अगली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- (vi) **छठी वरीयता:** अगली प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी, जिन्होंने श्रेणियों (ii) से (iv) में उल्लिखित स्तर पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / विश्वविद्यालय / राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वरीयता के समान क्रम में पदक या स्थान नहीं जीत सके।
- नोट 1:** बराबरी की स्थिति में, उच्च स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि फिर भी बराबरी होती है, तो अधिक संख्या में पदक जीतने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
- नोट 2:** व्यक्तिगत और टीम आयोजन/आइटम में भागीदारी को समान प्राथमिकता दी जाएगी।
- नोट 3:** बराबरी की स्थिति को छोड़कर, एक से अधिक पदक/स्थान जीतने पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
- नोट 4:** किसी टूर्नामेंट की स्थिति के बारे में, किसी भी संदेह के मामले में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और युवा मामले और खेल मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

## 11. अयोग्यता

(क)- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है,

वह इस अधिसूचना के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इन प्रावधानों के संचालन से छूट दे सकती है।

- (ख) तथ्यों या सूचनाओं की गलत प्रस्तुति / अधूरा आवेदन पत्र / निर्धारित आवेदन शुल्क के बिना। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करने पर एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये ऐसे सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।

## 12. आवेदन कैसे करें: -

- क) आवेदन केवल “<https://dopsportsrecruitment.cept.gov.in>” पर ऑनलाइन मोड में दोनों संवर्गों (यानी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टी टास्किंग स्टाफ) के साथ-साथ पोस्टल सर्कल के लिए वरीयता क्रम में जमा किया जाएगा।
- ख) आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को पात्रता शर्तों वाली अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वह उस पद के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण प्रस्तुत करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ‘उम्मीदवारों के लिए निर्देश’ को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ग) इस अधिसूचना के पैरा 8 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया फॉर्म 1/2/3/4/5 आवेदक की पात्रता पर विचार करने के लिए पर्याप्त है, यदि उम्मीदवार पद के लिए लागू आयु और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पात्र है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल खेलों में अपनी सर्वोच्च भागीदारी/उपलब्धि का विवरण दें। उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आयोजनों में भाग लिया है, तो उसे ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए उसके पास वैध फॉर्म-1 है, और अन्य सभी उपलब्धियों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।
- घ) यदि आवेदन के साथ निर्धारित/आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं, तो उसका आवेदन पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा और संशोधित प्राथमिकताएं/अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने/उम्मीदवारी को पुनर्जीवित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ङ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को पूर्वावलोकन/प्रिंट विकल्प के माध्यम से जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है।
- च) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 09.12.2023 है।
- छ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद, उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए पांच (05) दिनों की एक विशेष विंडो प्रदान की जाएगी।

## 13. आवेदन शुल्क: -

- क) देय शुल्क: रु. 100/- (सौ रुपये मात्र)
- ख) महिला उम्मीदवारों, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- ग) शुल्क का भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
- घ) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- ङ) जिन उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि शुल्क भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसे आवेदन जो शुल्क का भुगतान न करने के कारण अधूरे रह जाएंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और अंतिम तिथि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों

को सलाह दी जाती है कि वे पहले से ही शुल्क का सफल भुगतान सुनिश्चित कर लें।

च) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य उद्देश्य या अन्य अधिसूचना के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

#### 14. आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो [10/12/2023 से 14/12/2023]

- क) ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही/संशोधित करने के लिए पांच (05) दिनों की अवधि प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपेक्षित सुधार/परिवर्तन करने के बाद फिर से आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- ख) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, जहां भी लागू हो, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हो गए हैं।
- ग) एक उम्मीदवार को 'एप्लिकेशन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' के दौरान अपने संशोधित आवेदन को सही करने और फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, उम्मीदवार को मूल आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदन में संशोधन/सुधार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने की स्थिति में ऐसे अपूर्ण संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन वैध रहेगा।
- घ) एक उम्मीदवार जिसे मूल आवेदन के दौरान शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, यदि 'विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन' के दौरान लिंग/श्रेणी में परिवर्तन होता है, जिसे शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है, तो उसे पैरा 13 के अनुसार अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
- ङ) सही आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। 'एप्लिकेशन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

#### 15. अनंतिम मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों को सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -

क.	जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट
ख.	आवेदित पद(पदों) के लिए आयु, शैक्षणिक और अन्य योग्यता से संबंधित वैध दस्तावेज।
ग.	कंप्यूटर के ज्ञान का प्रमाण पत्र
घ.	फॉर्म 1/2/3/4/5 (ऊपर पैरा-8 देखें)
ङ.	जन्मतिथि का प्रमाण (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्रस्तुत किया गया था)
च.	आयु में छूट, शुल्क में छूट, डाइविंग लाइसेंस आदि चाहने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
छ.	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की सूचना ( अनुबंध - 4, 5 और 6) के साथ संलग्न हैं। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केंद्र सरकार में भर्ती के लिए निर्धारित प्रारूप में, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ज.	ऑनलाइन जमा किए गए पासपोर्ट आकार के समान 2 रंगीन फोटो।
झ.	यदि किसी उम्मीदवार ने मैट्रिकुलेशन / हायर सेकेंडरी / एसएससी के बाद अपना नाम बदल लिया है या अपने नाम का कुछ हिस्सा हटा दिया है / जोड़ लिया है या उसने मैट्रिकुलेशन आदि के बाद अपना नाम बदल लिया है, तो प्रासंगिक कानूनी रूप से वैध दस्तावेज।

**16. अनंतिम मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन:**

- क) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय, प्रत्येक उम्मीदवार को एक डाक सर्कल चुनना होगा जहां वह दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए जाना चाहता है। आमतौर पर ऐसा सत्यापन सर्कल कार्यालय में होगा।
- ख) 'एप्लिकेशन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' समाप्त होने के बाद भौतिक सत्यापन के लिए चयनित पोस्टल सर्कल में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ग) अभ्यर्थी को भौतिक सत्यापन के समय ओटीपी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर लाना होगा। यदि उम्मीदवार ओटीपी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर नहीं लाते हैं तो दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संभव नहीं होगा।
- घ) अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों की तीन प्रतियां लाएंगे।

**17. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:**

- क) अधिसूचित रिक्तियां बिना कोई कारण बताए परिवर्तन के अधीन हैं।
- ख) डाक विभाग बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और डाक विभाग आवेदक के आवेदन पर शुल्क वापस करने या कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ग) चयनित उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर आवश्यकता पड़ने पर भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- घ) गलत जानकारी देने/तथ्यों को छिपाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन पर प्रतिबंध और कानूनी/आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अभ्यर्थी धोखाधड़ी/प्रतिरूपण का प्रयास करेंगे, उन्हें डाक विभाग द्वारा आयोजित भविष्य की भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
- ङ) नियुक्ति के बाद चयनित उम्मीदवार कम से कम दो (2) वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा के सफल समापन के बाद पुष्टिकरण भारत सरकार के प्रचलित नियमों/विनियमों/निर्देशों द्वारा शासित होगा।
- च) चयनित उम्मीदवारों को डाक विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जो परीक्षा पूरी करने के लिए एक पूर्व शर्त हो सकती है।

**18. इस सूचना के हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण के प्रावधान मान्य होंगे।**

निदेशक (एसपीएन)  
डाक विभाग,  
डाक भवन, नई दिल्ली



सर्कल-वार, कैडर-वार रिक्ति

सर्कल	डाक सहायक	छँटाई सहायक	डाकिया	मेल गार्ड	मल्टी टास्किंग स्टाफ
आंध्र प्रदेश	27	2	15	0	17
असम	0	2	2	0	4
बिहार	15	7	0	0	0
छत्तीसगढ	7	2	5	0	8
दिल्ली	34	14	10	0	29
गुजरात	33	8	56	0	8
हरियाणा	6	4	6	0	10
हिमाचल प्रदेश	6	1	4	0	6
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0
झारखंड	29	0	15	0	14
कर्नाटक	32	7	33	0	22
केरल	31	3	28	0	32
मध्य प्रदेश	58	6	16	0	1
महाराष्ट्र	44	31	90	0	131
नॉर्थ ईस्ट	6	0	10	0	8
ओडिशा	19	5	20	0	17
पंजाब	13	4	0	0	0
राजस्थान	15	2	11	0	32
तमिलनाडु	110	19	108	0	124
तेलंगाना	16	5	20	2	16
उत्तर प्रदेश	15	5	32	0	45
उत्तराखंड	12	5	29	0	18
पश्चिम बंगाल	70	11	75	1	28
<b>कुल</b>	<b>598</b>	<b>143</b>	<b>585</b>	<b>3</b>	<b>570</b>

डाक मंडल/प्रभाग की स्थानीय भाषा

क्र.सं.	डाक मंडल का नाम	पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र	स्थानीय भाषा
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पुडुचेरी का यनम जिला	तेलुगू
2	असम	असम	असमिया/बंगाली/बोडो
3	बिहार	बिहार	हिंदी
4	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	हिंदी
5	दिल्ली	दिल्ली	हिंदी
6	गुजरात	गुजरात दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	गुजराती
7	हरियाणा	हरियाणा	हिंदी
8	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	हिंदी
9	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	उर्दू
10	झारखंड	झारखंड	हिंदी
11	कर्नाटक	कर्नाटक	कन्नडा
12	केरल	केरल लक्षद्वीप पुडुचेरी का माहे जिला	मलयालम
13	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	हिंदी
14	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र गोवा	मराठी मराठी/कोंकणी
15	नॉर्थ ईस्ट	अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नगालैंड त्रिपुरा	हिंदी/अंग्रेजी/मणिपुरी/मिजो/बंगाली
16	ओडिशा	ओडिशा	उड़िया
17	पंजाब	पंजाब चंडीगढ़	पंजाबी हिंदी/अंग्रेजी
18	राजस्थान	राजस्थान	हिंदी
19	तमिलनाडु	तमिलनाडु पुडुचेरी (माहे और यनम जिले को छोड़कर)	तामिल तामिल
20	तेलंगाना	तेलंगाना	तेलुगू
21	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	हिंदी
22	उत्तराखंड	उत्तराखंड	हिंदी
23	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सिक्किम अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	बंगाली नेपाली हिंदी/अंग्रेजी

फॉर्म 1

(मान्यता प्राप्त खेलों में से किसी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ \_\_\_\_\_

केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह सी सेवा में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री  
 \_\_\_\_\_ और  
 \_\_\_\_\_ (पूरा पता) के निवासी ने \_\_\_\_\_  
 प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में \_\_\_\_\_ के खेल/कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व किया। \_\_\_\_\_  
 से \_\_\_\_\_ तक।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान \_\_\_\_\_ था।

प्रमाणपत्र \_\_\_\_\_ के राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा  
 रहा है।

जगह: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पद का नाम: \_\_\_\_\_

फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

मुहर: \_\_\_\_\_

नोट:- यह प्रमाणपत्र तभी मान्य होगा जब सचिव नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 147015/1/78-स्था(डी) दिनांक 4 अगस्त, 1980 का अनुबंध बी)

फार्म -2

(मान्यता प्राप्त खेलों में से किसी एक में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

\_\_\_\_\_ के खेल \_\_\_\_\_ में राज्य संघ \_\_\_\_\_

केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह सी सेवा में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ और (पूरा पता) के निवासी ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में \_\_\_\_\_ के खेल/कार्यक्रम में \_\_\_\_\_ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक आयोजित की गई बैठक .

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान \_\_\_\_\_ था।

प्रमाणपत्र \_\_\_\_\_ के राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है।

जगह: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पद का नाम: \_\_\_\_\_

राज्य संघ का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

मुहर: \_\_\_\_\_

नोट:- यह प्रमाणपत्र राज्य एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 147015/1/78-स्था(डी) दिनांक 4 अगस्त, 1980 का अनुबंध बी)

प्रपत्र -3

(मान्यता प्राप्त खेलों में से किसी एक में अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

इससे संबंधित विश्वविद्यालय \_\_\_\_\_

केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह सी सेवा में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ (पूरा पता) के निवासी ने इंटर-यूनिवर्सिटी में \_\_\_\_\_ के खेल/कार्यक्रम में \_\_\_\_\_ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता/टूर्नामेंट \_\_\_\_\_ में \_\_\_\_\_ से आयोजित किया गया को \_\_\_\_\_ ।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान \_\_\_\_\_ था।

प्रमाणपत्र \_\_\_\_\_ विश्वविद्यालय में खेल के डीन या खेल के समग्र प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है।

जगह: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पद का नाम: \_\_\_\_\_

विश्वविद्यालय का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

मुहर: \_\_\_\_\_

नोट:- यह प्रमाणपत्र तभी मान्य होगा जब \_\_\_\_\_ विश्वविद्यालय में खेल के समग्र प्रभारी डीन/निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 147015/1/78-स्था(डी) दिनांक 4 अगस्त, 1980 का अनुबंध बी)

फार्म -4

(मान्यता प्राप्त खेलों में से किसी एक में राष्ट्रीय स्कूल खेल में राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

\_\_\_\_\_ राज्य के सार्वजनिक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय

केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह सी सेवा में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ के निवासी (पूरा पता) के छात्र ने राष्ट्रीय खेलों में \_\_\_\_\_ के खेल/प्रतियोगिता में राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया। \_\_\_\_\_ पर आयोजित स्कूल \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ ।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान \_\_\_\_\_ था।

प्रमाण पत्र \_\_\_\_\_ के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जा रहा है।

जगह: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पद का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

मुहर: \_\_\_\_\_

नोट:- यह प्रमाणपत्र तभी मान्य होगा जब राज्य के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल/खेलों के समग्र प्रभारी निदेशक या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 147015/1/78-स्था(डी) दिनांक 4 अगस्त, 1980 का अनुबंध बी)

फार्म-5

(शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता प्रदर्शन में पुरस्कार विजेताओं के लिए)

भारत सरकार/युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग

केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह सी सेवा में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री  
 \_\_\_\_\_ और  
 \_\_\_\_\_ (पूरा पता) के निवासी ने \_\_\_\_\_ में  
 आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के खेल/कार्यक्रम में \_\_\_\_\_ स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया। \_\_\_\_\_ से  
 \_\_\_\_\_ तक।

प्रमाण पत्र शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दिया जा रहा है।

जगह: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पद का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

मुहर: \_\_\_\_\_

नोट:- यह प्रमाणपत्र तभी मान्य होगा जब शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में शारीरिक दक्षता के समग्र प्रभारी सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 147015/1/78-स्था(डी) दिनांक 4 अगस्त, 1980 का अनुबंध बी)

प्रमाणपत्र का प्रपत्र गृह मंत्रालय के ओएम संख्या 42/21/49/एन जीएस दिनांक 28.1.1952 में निर्धारित अनुसार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या में संशोधिता 36012/6/76-स्था (एससीटी) दिनांक 29.10.1977, जिसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना है।

एक उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से एक होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए फॉर्म में जिला अधिकारी या उप-विभागीय अधिकारी से प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति जमा करनी चाहिए। उस जिले का कोई अन्य अधिकारी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आमतौर पर रहते हैं, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में नामित किया गया है। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां उम्मीदवार स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य से सामान्यतः निवास करता है।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ गांव/कस्बे के \_\_\_\_\_ के पुत्र/पुत्री\* \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश\* \_\_\_\_\_ जाति/जनजाति\* \_\_\_\_\_ से संबंधित हैं जिसे मान्यता प्राप्त है एक के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के अंतर्गत:-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जातियां) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951\* \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951\* \_\_\_\_\_

जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किया गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 \_\_\_\_\_

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976\* द्वारा संशोधित।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962.

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962@.

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 @

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@

संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@

संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991@



संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996@  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@  
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@  
संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@  
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007@

%2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू, जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से स्थानांतरित हुए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पिता/माता को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है। काश्री/श्रीमती/कुमारी\*  
\_\_\_\_\_ काजिला/मंडल\* में गांव/कस्बा\*  
\_\_\_\_\_ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश\* \_\_\_\_\_ जो उस जाति/जनजाति\* से संबंधित हैं  
जिसे \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा जारी \_\_\_\_\_  
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश\* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ और/या उसका/उसका परिवार आमतौर पर जिला/मंडल के गांव/कस्बे  
\_\_\_\_\_ में रहता है की राज्य/संघ इलाका का  
\_\_\_\_\_ ।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

\*\*पद का नाम \_\_\_\_\_  
(कार्यालय की मुहर के साथ)

जगह \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

\*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।  
@कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।  
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे हटा दें।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त सामान्यतः निवास(ओं) शब्द का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**\*\*जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्ता कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।

(iv) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

(अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ जिला/मंडल के गांव/कस्बे \_\_\_\_\_ के पुत्र/पुत्री हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में \_\_\_\_\_ उस समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_\*।

श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और/या उनका/उनका परिवार सामान्यतः \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ जिला/मंडल में रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था( एससीटी) दिनांक 8.9.1993\*\*।

जिला अधिकारी: \_\_\_\_\_

डिप्टी कमिश्नर आदि: \_\_\_\_\_

दिनांकित:

मुहर:

\*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

\*\*समय-समय पर यथासंशोधित।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

\_\_\_\_\_ की सरकार  
 (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)  
 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा तैयार किया जाने वाला आय एवं सहायता प्रमाणपत्र  
 प्रमाणपत्र संख्या \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_

वर्ष के लिए वैध \_\_\_\_\_

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ का बेटा/बेटी/पत्नी  
 \_\_\_\_\_ का स्थायी निवासी \_\_\_\_\_ गांव/गली, डाकघर \_\_\_\_\_ जिला  
 \_\_\_\_\_, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ पिन कोड  
 \_\_\_\_\_ जिसका फोटो नीचे प्रमाणित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। चूंकि सकल वार्षिक  
 आय\* उसका/उसका परिवार\*\* वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उसके परिवार  
 के पास निम्नलिखित में से कोई भी राजपत्र नहीं है\*\*\*:

- मैं 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
- द्वितीय. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- तृतीय. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- चतुर्थ. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड

2. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट  
आकार का सत्यापित फोटो

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पद का नाम \_\_\_\_\_

\*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

\*\*नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

\*\*\*नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ दिया गया है।